



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2016/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर, 2016

(13 कार्तिक, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या का0आ0-41/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- खिजराबाद नई उप-तहसील बनाने बारे।	447-449
2.	अधिसूचना संख्या का0आ0-42/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- पाल्हावास नई उप-तहसील बनाने बारे।	450-451
3.	अधिसूचना संख्या का0आ0-43/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा, हिसार) नई उप-तहसील बनाने बारे।	452-453
4.	अधिसूचना संख्या का0आ0-44/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- अम्बाला छावनी को नई तहसील बनाने बारे।	454-455
5.	अधिसूचना संख्या का0आ0-45/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- बडखल को नई तहसील बनाने बारे।	456-457
6.	अधिसूचना संख्या का0आ0-46/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- बास को नई तहसील बनाने बारे।	458-459
7.	अधिसूचना संख्या का0आ0-47/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- उचाना को नई तहसील बनाने बारे।	460-461
8.	अधिसूचना संख्या का0आ0-48/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- अलेवा को नई तहसील बनाने बारे।	462-463
9.	अधिसूचना संख्या का0आ0-49/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- लाडवा को नई तहसील बनाने बारे।	464-465
10.	अधिसूचना संख्या का0आ0-50/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- रायपुर रानी को नई तहसील बनाने बारे।	466-467
11.	अधिसूचना संख्या का0आ0-51/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- मतलौड़ा को नई तहसील बनाने बारे।	468-469
12.	अधिसूचना संख्या का0आ0-52/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- कालावाली को नई तहसील बनाने बारे।	470-471
13.	अधिसूचना संख्या का0आ0-53/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 4 नवम्बर, 2016- बादली नई तहसील बनाने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	472-473
भाग-IV	शुद्धि पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ041/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील छछरौली से खिजराबाद के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील छछरौली के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उप-तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये हदबस्त संख्या सहित गांवों को मिलाकर खिजराबाद नई उप-तहसील बनाई जा सके :-

अनुसूची

नई उप-तहसील खिजराबाद का क्षेत्र

क्रम संख्या	खिजराबाद	हदबस्त संख्या	क्रम संख्या	खिजराबाद	हदबस्त संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	कलेसर	1	31.	भीलपुरा	76
2.	चकवाट	6	32.	भूडमाजरा	70
3.	खिजरी	8	33.	कन्यावाला	74
4.	अराईयावाला	4	34.	लाहौरीवाला	89
5.	नागलपत्तीमिल्क	5	35.	दड़वा	78
6.	चकबाबा साहब सिंह	7	36.	ईस्माईलपुर	86
7.	जंगल कलेसर	2	37.	नन्दगढ़	87
8.	नैनावाली	65	38.	बीचपड़ी	77
9.	ताजेवाला	3	39.	मनभरावाला	79
10.	बहादुरपुर	164	40.	माडोहल्दरी	88
11.	खिजराबाद	165	41.	तेलीपुरा	96
12.	मुजाफत कलां	166	42.	हसनपुर	90
13.	किशनपुरा	167	43.	नत्थपुर	91
14.	बककरवाला	177	44.	लाकडमय प्रतापपुर	92
15.	लिहासाबाद	175	45.	हल्दरी गुजरान	95
16.	मुजाफतखुर्द	176	46.	नवाजपुर	93
17.	भूडकलां	67	47.	रामपुर खादर	94
18.	तिहमो	174	48.	डारपुर	17
19.	माण्डेवाला	64	49.	खिलावाला	10
20.	कोलीवाला	68	50.	भंगेडा भंगेडी बागपत	9
21.	चुहडपुर कलां	168	51.	कान्सली	11
22.	गुलाबगढ़	169	52.	जाटावाला	18
23.	कडकौली	171	53.	नत्थपुर	15
24.	डेकरी वाला	66	54.	मेघुवाला	14
25.	बेलीभूड	63	55.	शहजादवाला	16
26.	बेलगढ़	73	56.	पंचखोल	492
27.	डोईवाला	69	57.	खोलडारपुर	493
28.	देवधर	72	58.	चिक्कन	12
29.	मजाहदवाला	75	59.	बनियावाला	13
30.	बल्लेमाजरा	71			

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.41/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Chhachhrauli and alters the number of sub-tahsils by excluding the area of sub-tahsil from tahsil Chhachhrauli so as to form new sub-tahsil Khizrabad comprising of villages with Hadbast No. shown in the Schedule given below:-

Schedule

Area of new sub-tahsil Khizrabad

Sr. No.	Khizrabad	Hadbast No.	Sr. No.	Khizrabad	Hadbast No.
1	2	3	1	2	3
1.	Kalesar	1	31.	Bhilpura	76
2.	Chakwat	6	32.	Bhudmajra	70
3.	Khijri	8	33.	Kanyawala	74
4.	Araiawala	4	34.	Lahoriwala	89
5.	Nagalpatimilk	5	35.	Darwa	78
6.	Chakbaba Sahab Singh	7	36.	Ismailpur	86
7.	Jangal Kalesar	2	37.	Nandgarh	87
8.	Nainawali	65	38.	Bichpari	77
9.	Tajewala	3	39.	Manbharwala	79
10.	Bahadurpur	164	40.	Madohaldri	88
11.	Khijrabad	165	41.	Telipura	96
12.	Mujafat Kalan	166	42.	Hasanpur	90
13.	Kishanpura	167	43.	Nathpur	91
14.	Bakkarwala	177	44.	Lakadmai Pratappur	92
15.	Lihabad	175	45.	Haldri Gujran	95
16.	Mujafatkhard	176	46.	Nawajpur	93
17.	Bhudkalan	67	47.	Rampur Khadar	94
18.	Tihmo	174	48.	Darpur	17
19.	Mandewala	64	49.	Khilanwala	10
20.	Koliwala	68	50.	Bhangera Bhangeri Baghpat	9
21.	Chuhadpur Kalan	168	51.	Kansali	11
22.	Gulabgarh	169	52.	Jatanwala	18
23.	Kadkoli	171	53.	Nathapur	15
24.	Dekari wala	66	54.	Meghuwala	14

Sr. No.	Khizrabad	Hadbast No.	Sr. No.	Khizrabad	Hadbast No.
1	2	3	1	2	3
25.	Belibhud	63	55.	Shajadwala	16
26.	Belgar	73	56.	Panchkhol	492
27.	Doiwala	69	57.	Kholdarpur	493
28.	Devdhar	72	58.	Chickkan	12
29.	Majahdwala	75	59.	Baniyanwala	13
30.	Ballemajra	71			

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretray and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ042/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील रेवाड़ी से पाल्हावास के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील रेवाड़ी के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उप-तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये हदबस्त संख्या सहित गांवों को मिलाकर पाल्हावास नई उप-तहसील बनाई जा सके :-

अनुसूची

नई उप-तहसील पाल्हावास का क्षेत्र

क्रम संख्या	पाल्हावास	हदबस्त संख्या	क्रम संख्या	पाल्हावास	हदबस्त संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	पाल्हावास	236	21.	झाड़ूवास	225
2.	कन्हौरा	241	22.	रोझूवास	237
3.	कन्हौरी	242	23.	रोहड़ाई	230
4.	गादला	243	24.	लाला	228
5.	पृथ्वीपुरा	244	25.	बासोता	250
6.	हांसावास	240	26.	करावरा मानकपुर	253
7.	गुरावड़ा	245	27.	नांगलिया रनमोख	252
8.	पैहराजवास	239	28.	शादीपुर	254
9.	सैदपुर	237	29.	टहना दीपालपुर	345
10.	चांग	238	30.	चांदनवास	251
11.	कुतुबपुरी बुजुर्ग	233	31.	आसियाकी गोरावास	249
12.	जादूसाना	106	32.	जीवड़ा	247
13.	सुमाखड़ा	232	33.	मालियाकी	246
14.	बेरली कलां	310 (1)	34.	चौकी नं० 1	248
15.	मुसेपुर	105	35.	खेडा आलमपुर	235
16.	परखोत्तमपुर	104	36.	रसूलपुर	234
17.	मस्तापुर	256	37.	चिल्हड़	259
18.	नैनसुखपुरा	227	38.	जैतपुर शेखपुर	260
19.	मोहीदीनपुर	229	39.	नूरपुर	258
20.	मुंडावास	226			

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.42/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Rewari and alters the number of sub-tahsils by excluding the area of sub-tahsil from tahsil Rewari so as to form new sub-tahsil Palhawas comprising of villages with Hadbast No. shown in the Schedule given below:-

Schedule

Area of new sub-tahsil Palhawas

Sr. No.	Palhawas	Hadbast No.	Sr. No.	Palhawas	Hadbast No.
1	2	3	1	2	3
1.	Palhawas	236	21.	Jhaduwas	225
2.	Kanhora	241	22.	Rojhuwas	237
3.	Kanhori	242	23.	Rohdai	230
4.	Gadla	243	24.	Lala	228
5.	Prithipura	244	25.	Basota	250
6.	Hansawas	240	26.	Karawara Manakpur	253
7.	Gurawara	245	27.	Nagliya Ranmokh	252
8.	Pahrajwas	239	28.	Shadipur	254
9.	Saidpur	237	29.	Tahna Dipalpur	345
10.	Chang	238	30.	Chandanwas	251
11.	Kutubpuri Bujagr	233	31.	Asiyaki Gorawas	249
12.	Jatusana	106	32.	Jiwda	247
13.	Soma Khera	232	33.	Maliyaki	246
14.	Berli Kalan	310 (1)	34.	Choki No. 1	248
15.	Musepur	105	35.	Khera Alampur	235
16.	Prakhotampur	104	36.	Rasoolpur	234
17.	Mastapur	256	37.	Chilhar	259
18.	Nainsukhpura	227	38.	Jaitpur Shekhpur	260
19.	Mohdinpur	229	39.	Noorpur	258
20.	Mundawas	226			

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ043/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील नारनौद से खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा) के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील नारनौद के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उप-तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये हदबस्त संख्या सहित गांवों को मिलाकर खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा,हिसार) नई उप-तहसील बनाई जा सके :-

अनुसूची

नई उप-तहसील खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा,हिसार) का क्षेत्र

क्रम संख्या	खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा)	हदबस्त संख्या	क्रम संख्या	खेड़ी जालब (खेड़ी चौपटा)	हदबस्त संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	खेड़ी जालब	78	10.	कौथ खुर्द	3
2.	खेड़ी लोचब	77	11.	नाड़ा	4
3.	हेबतपुर	79	12.	कौथकला	2
4.	राखी शाहपुर	81	13.	कापड़ी	7
5.	गामड़ा	80	14.	गण्डास	6
6.	राखी खास	76	15.	सरसाना	14 एच
7.	लोहारी राधों	82	16.	भाडा खेड़ा	12 एच
8.	मिर्चपुर	75	17.	सौथा	11 एच
9.	किन्नर	5	18.	पनिहारी	13 एच

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.43/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Narnaund and alters the number of sub-tahsils by excluding the area of sub-tahsil from tahsil Narnaund so as to form new sub-tahsil Kheri Jalab (Kheri Chopta, Hisar) comprising of villages with Hadbast No. shown in the Schedule given below:-

Schedule

Area of new sub-tahsil Kheri Jalab (Kheri Chopta, Hisar)

Sr. No.	Kheri Jalab (Kheri Chopta)	Hadbast No.	Sr. No.	Kheri Jalab (Kheri Chopta)	Hadbast No.
1	2	3	1	2	3
1.	Kheri Jalab	78	10.	Koth Khurd	3
2.	Kherilochab	77	11.	Nara	4
3.	Hebatpur	79	12.	Koth Kalan	2
4.	Rakhishahpur	81	13.	Kapro	7
5.	Gamra	80	14.	Gandas	6
6.	Rakhi Khas	76	15.	Sarsana	14 H
7.	Lohari Raghon	82	16.	Bhada Khera	12 H
8.	Mirchpur	75	17.	Sotha	11 H
9.	Kinnar	5	18.	Panihari	13 H

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretray and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ044/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील अम्बाला से उप-तहसील अम्बाला छावनी के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील अम्बाला के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि अम्बाला छावनी के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो अम्बाला उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.44/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Ambala and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Ambala Cantonment from tahsil Ambala so as to form new tahsil Ambala Cantonment which shall be the part of Ambala Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ045/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील फरीदाबाद तथा तहसील बल्लबगढ़ से उप-तहसील बड़खल के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील फरीदाबाद तथा तहसील बल्लबगढ़ के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि बड़खल के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो फरीदाबाद उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.45/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Faridabad and tahsil Ballabgarh and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Badkhal from tahsil Faridabad and tahsil Ballabgarh so as to form new tahsil Badkhal which shall be the part of Faridabad Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ046/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील हांसी से उप-तहसील बास के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील हांसी के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि बास के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो हांसी उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.46/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Hansi and alters the number of tahsil by excluding the area of sub-tahsil Bass from tahsil Hansi so as to form new tahsil Bass which shall be the part of Hansi Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ047/पं0अ017/1887/धा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील जीन्द से उप-तहसील उद्याना के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील जीन्द के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि उद्याना के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो जीन्द उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.47/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Jind and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Uchana from tahsil Jind so as to form new tahsil Uchana which shall be the part of Jind Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग.

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ048/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील जीन्द से उप-तहसील अलेवा के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील जीन्द के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि अलेवा के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो जीन्द उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.48/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Jind and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Alewa from tahsil Jind so as to form new tahsil Alewa which shall be the part of Jind Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ049/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील शाहबाद तथा तहसील थानेसर से उप-तहसील लाडवा के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील शाहबाद तथा तहसील थानेसर के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि लाडवा के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो शाहबाद उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.49/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Shahbad & tahsil Thanesar and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Ladwa from tahsil Shahbad & tahsil Thanesar so as to form new tahsil Ladwa which shall be the part of Shahbad Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ050/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील पंचकूला से उप-तहसील रायपुर रानी के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील पंचकूला के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि रायपुर रानी के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो पंचकूला उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.50/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Panchkula and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Raipur Rani from tahsil Panchkula so as to form new tahsil Raipur Rani which shall be the part of Panchkula Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ051/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील पानीपत से उप-तहसील मतलौडा के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील पानीपत के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि मतलौडा के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो पानीपत उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.51/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Panipat and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Matlauda from tahsil Panipat so as to form new tahsil Matlauda which shall be the part of Panipat Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ052/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील सिरसा तथा तहसील डबवाली से उप-तहसील कालावाली के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील सिरसा तथा तहसील डबवाली के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि कालावाली के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो सिरसा उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.52/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Sirsa and tahsil Dabwali and alters the number of tahsils by excluding the area of sub-tahsil Kalanwali from tahsil Sirsa and tahsil Dabwali so as to form new tahsil Kalanwali which shall be the part of Sirsa Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या का0आ053/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील बहादुरगढ़ तथा तहसील झज्जर से बादली के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील बहादुरगढ़ तथा तहसील झज्जर के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि बादली के रूप में नई तहसील बनाई जा सके जो बहादुरगढ़ उप-मण्डल का हिस्सा होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2016

No. S.O.53/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Bahadurgarh & tahsil Jhajjar and alters the number of tahsils by excluding the area of Badli from tahsil Bahadurgarh & tahsil Jhajjar so as to form new tahsil Badli which shall be the part of Bahadurgarh Sub-Division.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.